

# छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

क्रमांक-01 / वि.स. / संपदा / 2013

रायपुर, दिनांक : 22 .10.2013

## // निविदा आमंत्रण //

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय परिसर स्थित भवनों/आवासीय परिसर में स्थित सामुदायिक भवन की वार्षिक आधार पर साफ-सफाई हेतु अनुबंध करने के लिये अनुभवी प्रतिष्ठित फर्म/एजेंसी से सील बंद प्रस्ताव दिनांक 11 नवंबर, 2013 को अपरान्ह 3:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं । प्राप्त प्रस्ताव क्रय समिति के समक्ष खोले जायेंगे । इस दौरान प्रस्ताव देने वाले अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं ।

प्रस्ताव हेतु प्रपत्र, विस्तृत शर्तें आदि की जानकारी विधान सभा सचिवालय की संपदा शाखा कक्ष क्रमांक बी-7 से रूपये 100/- (रूपये एक सौ मात्र) जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा विधान सभा की वेबसाईट [www.cgvidhansabha.gov.in](http://www.cgvidhansabha.gov.in) से डाउनलोड भी की जा सकती है , जिसके शुल्क के रूप में रूपये 100/- (रूपये एक सौ मात्र) विधान सभा सचिवालय की लेखा शाखा में प्रस्ताव जमा करने के पूर्व जमा करना होगा ।

किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को अमान्य करने का अधिकार प्रमुख सचिव, विधान सभा को होगा ।

अपर सचिव ,  
छत्तीसगढ़ विधानसभा

# छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

## निविदा प्रपत्र

### विधानसभा भवन/परिसर की सफाई का कार्य

निविदा प्रपत्र का मूल्य : 100/- (रूपये एक सौ मात्र)  
धरोहर राशि : 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र)

1. निविदाएँ दो पृथक-पृथक लिफाफों में अलग-अलग तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत करनी है ।
2. तकनीकी प्रस्तावों के साथ तकनीकी प्रस्तावों का निविदा प्रपत्र संबंधी दस्तावेज एवं निविदा की शर्तें संलग्न की जानी है ।
3. तकनीकी प्रस्ताव उपयुक्त पाए जाने वाले निविदाकारों के ही वित्तीय प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा .
4. तकनीकी प्रस्ताव में पूर्ण वांछित जानकारी नहीं दिये जाने अथवा केवल आधी , अधूरी जानकारी दिये जाने पर वित्तीय प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा ।
5. वित्तीय प्रस्ताव में राशि अंको व शब्दों में स्पष्ट अंकित करनी होगी ।

प्रमुख सचिव,  
छत्तीसगढ़ विधानसभा

# छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

निविदा प्रपत्र

(भाग-एक)

साफ-सफाई कार्य हेतु तकनीकी प्रस्ताव

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम : .....
2. स्थाई पता : .....
3. पत्र व्यवहार का पता : .....
4. टेलीफोन नम्बर : ..... एस.टी.डी. कोड .....
- मोबाईल नम्बर : .....
5. धरोहर राशि जमा विवरण रूपये 10,000/- बैंकर्स चैक/डी.डी  
नम्बर : ..... दिनांक.....  
बैंक का नाम एवं पता : .....
6. (अ) पूर्व अनुभव का विवरण (संस्था द्वारा अवधि एवं कार्य संतुष्टि प्रमाण-पत्र संलग्न करना आश्यक है  
अधूरी जानकारी प्रस्तुत करने वाले निविदाकारों के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा )

क्रमांक	संस्था का नाम	अवधि	राशि	कार्य विवरण	कार्य छोडने का कारण	कार्य समयावधि पूर्ण होने पर या पहले छोडा गया

(ब) वर्तमान में कहां-कहां कितनी अवधि से कार्य कर रहे है व कुल कितने कर्मचारी कार्यरत है ।

क्रमांक	संस्था का नाम	कार्य प्रारंभ करने की दिनांक एवं अवधि	कर्मचारियों की संख्या

8. साफ-सफाई कार्य में प्रयुक्त किये जाने वाले यंत्रों का विवरण

क्रमांक	नाम यंत्र का मेक एवं निर्माण वर्ष	यंत्र का कार्य	संख्या

9. वित्तीय वर्ष 2012-2013 का आयकर चुकता प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें

10. सेवा कर संबंधी पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें

11. श्रम विभाग संबंधी पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें

मैंने/ हमने निविदा में दी गई समस्त शर्तें पढ़ ली है , मुझे/हमें समस्त शर्तें स्वीकार है । प्रमाण स्वरूप मैंने/हमने निविदा की शर्तों पर हस्ताक्षर कर दिये है ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

# छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

निविदा प्रपत्र

(भाग—दो)

## साफ—सफाई कार्य हेतु वित्तीय प्रस्ताव

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम :.....  
.....
2. स्थाई पता : .....  
.....
3. रायपुर में कम्पनी का पूरा पता व कबसे कार्यालय स्थापित है (मय प्रमाण के) :.....  
.....  
.....
4. टेलीफोन नम्बर : ..... एस.टी.डी. कोड .....  
मोबाईल नम्बर : .....
5. विधानसभा परिसर में स्थित समस्त भवनों के कक्षों की साफ—सफाई तथा आवासीय परिसर स्थित कम्प्यूनिटी हॉल की साफ—सफाई की राशि प्रतिमाह समस्त कर सहित अंको में रूपये.....  
शब्दों में रूपये.....

मैंने/ हमने निविदा में दी गई समस्त शर्तें पढ़ ली है , मुझे/हमें समस्त शर्तें स्वीकार है । प्रमाण स्वरूप मैंने/हमने निविदा की शर्तों पर हस्ताक्षर कर दिये है ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

- : निविदा की शर्तें / जानकारी :-

1. निविदा प्रदायकर्ता के लिए यह आवश्यक होगा कि वह वित्तीय वर्ष 2012-13 का आयकर चुकता प्रमाण पत्र , सेवा कर संबंधी पंजीयन श्रम विभाग संबंधी पंजीयन की प्रति निविदा के साथ संलग्न करें ।
2. प्रत्येक निविदा के साथ अमानत राशि के रूप में **रूपये 10,000/- ( अक्षरी रूपये दस हजार मात्र )** का डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर के नाम से देय संलग्न करना होगा एवं अनुबंध की अवधि में भुगतान हेतु प्रस्तुत देयक राशि में से 5% प्रतिशत की कटौती सिक्युरिटी डिपोजिट के रूप में की जावेगी । अनुबंध अवधि समाप्त होने पर कटौती की गई सिक्युरिटी डिपोजिट की सम्पूर्ण राशि रिलीज कर दी जावेगी ।
3. विधानसभा परिसर स्थित भवनों की सफाई के लिए कार्य क्षेत्रफल का अवलोकन हेतु संपदा शाखा से कार्यालयीन समय पर संपर्क किया जा सकता है ।
4. निविदाकर्ता द्वारा निविदा निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय विधान नगर , रायपुर को संबोधित करते हुए सम्पदा शाखा में प्रस्तुत की जा सकती हैं ।
5. निर्धारित समय-सीमा के पश्चात् प्राप्त निविदाएं मान्य नहीं होगी ।
6. निविदा को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का सर्वाधिकार प्रमुख सचिव , छत्तीसगढ़ विधानसभा को होगा ।
7. ठेकेदार को विधानसभा भवन एवं विधानसभा परिसर में स्थित सभी भवनों के कक्ष , बरामदे , छत , आंगन, शौचालयों , रेलिंग , गलियारों , सीढ़ियों , समस्त खुले परिसर सहित की साफ-सफाई करना होगा तथा दरवाजे , खिडकियों से धूल-जाले तथा पान-तम्बाखू के दाग भी हटाना होगा ।
8. आवासीय परिसर स्थित कम्युनिटी हॉल के कक्ष , बरामदे , छत , आंगन, शौचालयों , रेलिंग , गलियारों , सीढ़ियों , समस्त खुले परिसर सहित की साफ-सफाई प्रतिदिन दो बार करना होगा । भवन के उपयोग अवधि में प्रातः 6:00 बजे से सफाई व्यवस्था करनी होगी तथा दरवाजे , खिडकियों से धूल-जाले तथा पान-तम्बाखू के दाग भी हटाना होगा ।
9. विधानसभा सत्र के दौरान सुबह **8:30** बजे के पूर्व सफाई करना अनिवार्य होगा और आवश्यकतानुसार सफाई कर्मी भी बढ़ाना होगा ।
10. सभा भवन , लॉबी ,माननीय अध्यक्ष , मंत्रीगणों एवं विभिन्न कक्षों में लगे कारपेट की सफाई विशिष्ट उपकरण से की जानी होगी ।
11. शौचालयों की सफाई में उत्तमगुणवत्ता के फिनाईल , लिक्विड सोप , फिनाईल गोलियाँ , ऑडोनिल फ्रेशनर, टॉयलेट पेपर रोल के प्रयोग के साथ हारपिक जैसे लिक्विड के प्रयोग से किया जाना होगा , शौचालयों की सफाई प्रति घंटे के अंतराल में करनी होगी । समस्त सामग्री का स्टॉक भी निरन्तर रखना होगा ।
12. सभा कक्ष , जिन कक्षों में कारपेट लगा हुआ है , वैक्युम क्लीनर एव शैम्पू से सफाई किया जाना होगा ।
13. डस्टबीन तथा थूकदानों की सफाई कर कचरा हटाकर परिसर में नियत स्थान पर ले जाकर डालना होगा तथा थुकदान की रेत प्रतिदिन बदलनी होगी ।
14. महिला शौचालयों की सफाई हेतु महिला सफाई कर्मी आवश्यक रूप से रखना होगा ।
15. सभी सफाई कर्मी को ड्रेस देना होगा तथा शर्ट की जेब में सफाई कर्मी अंकित हो , जो स्पष्ट दिखाई दे ।
16. जहां जहां साफ - सफाई के साथ पोछा एवं धुलाई की आवश्यकता होगी , वह भी करना होगा साथ ही सप्ताह में कम से कम एक दिन अथवा आवश्यकतानुसार फर्श , सीढ़ियों , रेम्प (टाइल्स , मार्बल व कोटा स्टोन) की सफाई करनी होगी ।

17. भवनों का जो भाग , अंतःसत्रकाल में इस्तेमाल नहीं होता है , उसकी साफ-सफाई भी प्रतिदिन एक बार की जाएगी ।
18. सभी फर्नीचरों , दरवाजों , खिडकियों की तथा कांच/ग़िल की रोजाना सफाई की जायेगी ।
19. मशीनों का उपयोग मार्बल/कोटा स्टोन, टाइल्स तथा फर्श आदि के लिए किया जा सकेगा । इसके अतिरिक्त अन्य कोई मशीन जिससे कार्यगुणवत्ता बढ़ती हो तो निविदाकर्ता उसका पृथक से उल्लेख निविदा प्रस्ताव कर सकता है ।
20. सफाई कर्मियों को अनुशासन में रहकर कार्य करना होगा तथा कक्षों में रखे अभिलेख एवं उपकरणों से छेड़छाड़ नहीं करना होगा यदि किसी अभिलेखों या उपकरणों को क्षति पहुंचाना पाया गया तो होने वाली हानि की वसूली ठेकेदार से की जायेगी ।
21. सफाई कर्मचारी नियमित रूप से प्रातः **8:30** से संध्या **5:30** तथा सत्रकाल में सदन की बैठक समाप्ति तक आवश्यकतानुसार उपस्थित रहेंगे ।
22. सफाई कर्मी संदिग्ध अवस्था में पाए जाने , विधानसभा कर्मियों से दुर्व्यवहार करने एवं काम ठीक से न करने पर उसे विधानसभा की साफ-सफाई कार्य से हटा दिया जावेगा ।
23. विधानसभा भवन की उचित साफ-सफाई न होने पर शिकायत आने पर या निरीक्षण में लापरवाही एवं अनियमितता पाये जाने की स्थिति में **रूपये 500/-** तक प्रतिदिन शास्ति (पेनाल्टी) अधिरोपित कर कटौती मासिक देयक से की जावेगी ।
24. सफाई की पर्याप्त सामग्री की व्यवस्था निविदाकार फर्म द्वारा की जावेगी तथा सचिवालय की संपदा शाखा की देख-रेख में उसका उपयोग किया जावेगा , इसकी जांच आवश्यकता पड़ने पर सचिवालय या निर्देशानुसार लोक निर्माण विभाग के अधिकृत अधिकारी द्वारा की जावेगी ।
25. परिसर में जब मशीनों का उपयोग नहीं रहेगा तब सचिवालय द्वारा निर्धारित अवधि में मशीनों को परिसर से बाहर ले जाने की अनुमति विधानसभा सचिवालय से प्राप्त करनी होगी ।
26. अनुबंधकर्ता नियत अवधि तक कार्य नहीं छोड़ सकेगा और यदि बीच में कार्य छोड़ा गया जो नवीन ठेके से होने वाली क्षति की वसूली की जावेगी ।
27. प्रत्येक माह सफाई का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर ही माह के अंत में प्रस्तुत देयक का भुगतान किया जावेगा ।
28. अन्तःसत्रकाल में कम से कम 12 सफाई कर्मी तथा सत्रकाल में आवश्यकतानुसार अधिक सफाई कर्मी रखना आवश्यक होगा ।
29. अमानत राशि के रूप में जमा राशि ठेके की शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में राजसात की जा सकेगी ।
30. ठेके की अवधि में उत्पन्न होने वाले किसी विवाद पर निर्णय करने का संपूर्ण अधिकार अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा , रायपुर को होगा तथा उनका निर्णय बंधनकारी होगा ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर